चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/3487
दिनांक : 15 जनवरी, 2008

सचिव,
श्री कृष्ण महाविद्यालय,
बालैनी (बागपत)

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–4444/सत्तर–2–2007–2 (516)/2007, दिनांक 11.12.2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन श्री कृष्ण महाविद्यालय, बालैनी (बागपत) को स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं इतिहास) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की सशर्त स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार श्री कृष्ण महाविद्यालय, बालैनी (बागपत) को स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं इतिहास) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–
1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (~~प्रोफेसनल~~) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

संख्या: ~~1042715-H-95~~ 2(11)96
1135

प्रेषक,

श्री चन्द्रमा प्रसाद
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ

शिक्षा ॥।॥ अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 4/7/96

विषय: अस्थायी सम्बद्धता हेतु शासन का अनुमति पत्र ।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने श्रीकृष्ण डिग्री कालेज बालैनी मेरठ को कला संकाय में हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं राजनीति शास्त्र में स्नातक/~~स्नातकोत्तर~~ स्तर पर अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुमति ॥क्लियरेंस॥ निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है :-

॥1॥ प्रस्तावक संबंधित विषय में

स्नातकोत्तर स्तर पर दिये गये नये विषय के स्टाफ के वेतनादि का समस्त व्यय-भार तथा प्राचार्य के स्नातक वेतनक्रम में दिये जा रहे वेतन एवं स्नातकोत्तर प्राचार्य के रूप में देय वेतन का अन्तर स्वयं वहन करेंगे एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करेंगे ।

॥2॥ मानकों का पुनर्निर्धारण होने की स्थिति में पुनर्निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने के लिए प्रस्तावक शासन को दो सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से प्रतिज्ञापत्र-पत्र प्रस्तुत करेंगे ।

॥3॥ अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने के एक माह के भीतर अशासकीय महाविद्यालयों के प्रबंध-तंत्र द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सृजित शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचन निदेशक, उच्च शिक्षा को प्रेषित किया जायेगा ।

॥4॥ जब तक आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते हैं, सेवानिवृत्त शिक्षकों से मानदेय के आधार पर शासन के आदेशों के अनुसार कार्य कराया जायेगा ।

॥5॥ उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर नियुक्त किये गये शिक्षकों

....2/

प्राचार्य
श्री कृष्ण महाविद्यालय
बालैनी (बागपत)